निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून** के माह 09/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व रवि प्रताप सिंह यादव, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.09.2017 से 29.09.2017 तक श्री हनुमान सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं नर्सिंग स्कूलों के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करना एवं निर्माण कार्यों का अनुश्रवण तथा राजकीय मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों एवं नर्सिंग स्कूलों के संचालन हेतु धन अवमुक्त करना।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	---	---	13381.65	10053.98	10256.55	10256.55	---	3327.67
2014-15	---	---	15595.67	10780.33	21849.65	21849.65	---	4815.34
2015-16	---	---	14696.58	11292.26	10759.51	10709.51	---	3454.32
2016-17	---	---	16340.29	14431.82	9419.25	9219.25	---	2108.47
2017-18 (अगस्त तक)	---	---	16932.48	7127.70	70.00	---	---	---

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	ब्याज से प्राप्ति	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2010-11	जी॰एन॰एम॰ एवं ए॰एन॰एम॰ नर्सिंग स्कूलों	0	1525.00	0.88	0	0	1525.00
2011-12		1525.00	0	60.25	78.08	0	1507.17
2012-13		1507.17	675.75	60.41	0	0	2243.33
2013-14		2243.33	0	87.93	225.00	0	2106.26

2014-15	की स्थापना	2106.26	0	50.86	1348.47	0	808.65
2015-16		808.65	0	22.90	725.00	0	106.25
2016-17		106.25	0	4.77	0	0	111.32
2017-18		111.32	0	2.27	0	0	113.59

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(iv) इकाई को बजट आवंटन राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'अ' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

1. प्रमुख सचिव/ सचिव (चिकित्सा शिक्षा विभाग)
2. अपर सचिव
3. संयुक्त सचिव
3. उप सचिव
4. अनु. सचिव
5. निदेशक
6. प्राचार्य

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो (अ)</u>

प्रस्तर 1:- एएनएम स्कूल के निर्माण पर रु 2.30 करोड़ का निष्फल व्यय।

विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर टिहरी जनपद में एएनएम स्कूल एवं छात्रावास के निर्माण किए जाने हेतु भारत सरकार से प्रस्तावित किया गया था जिसे भारत सरकार ने सितंबर 2010 में स्वीकृति देने के साथ साथ रु 125 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इसके बाद भारत सरकार द्वारा 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत टिहरी में नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास का अनुमोदन दिये जाने के कारण एएनएम स्कूल एवं छात्रावास हेतु अवमुक्त धनराशि को भारत सरकार द्वारा वापस मांगा गया था। परंतु मुख्यमंत्री की घोषणा के कारण विभाग द्वारा राज्य योजना से एएनएम स्कूल एवं छात्रावास निर्मित किए जाने का निर्णय लिया गया।

आगे अभिलेखों में पाया गया कि एएनएम स्कूल एवं छात्रावास और नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास को क्रमशः राज्य योजना से रु 229.65 लाख की और 13 वें वित्त आयोग से रु 1944.60 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। और यह सुनिश्चित किया गया था कि स्कूल एवं कॉलेज और छात्रावास संयुक्त रूप से बनाए जायेंगे। स्कूल एवं छात्रावास और कॉलेज एवं छात्रावास की पूर्ण धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी थी और कार्यदायी संस्था द्वारा स्कूल एवं छात्रावास और कॉलेज एवं छात्रावास के निर्माण पूर्ण कर लिया गए थे। और वर्ष 2016-17 हेतु नर्सिंग कॉलेज के लिए पदो का सृजन

करते हुए एवं भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता लेकर BSc° Nursing का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया था परंतु नर्सिंग कॉलेज में शिक्षण के प्रारम्भ के एक से अधिक वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी एएनएम स्कूल हेतु लेखापरीक्षा तिथि तक (सितंबर 2017) न तो पदो का सृजन किया गया था और न ही भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता लेते हुए शिक्षण प्रारम्भ किया गया था। और इसप्रकार एएनएम स्कूल के निर्माण पर किया गया व्यय रु 2.30 करोड़ से उद्देश्यों के पूर्ति नहीं हो सकी और व्यय निष्फल रहा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षण कार्य कराये जाने हेतु एएनएम स्कूल इसी विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अगस्त 2015 के शासनादेश से स्पष्ट है एएनएम प्रशिक्षित मानव शक्ति की मांग अपेक्षा के अनुरूप नहीं थी। इसी कारण मुख्यमंत्री की घोषणा पर स्कूल का निर्माण तो करवा दिया गया परंतु न तो मान्यता ली गई और न ही शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। आगे इकाई द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भारत सरकार से स्वीकृत चार एएनएम स्कूल (रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, वागेश्वर एवं चंपावत) के निर्मित किए जाने हेतु रु 5.00 करोड़ की धनराशि अगस्त 2015 में इस विभाग से चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी गई थी परंतु यह धनराशि अभी तक अवरुद्ध पड़ी हुई है और एएनएम स्कूल निर्मित नहीं किए गये हैं।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टिहरी जनपद में वर्ष 1993-94 से निर्मित एएनएम केंद्र भी वर्ष 2013 से बंद पड़ा हुआ है।

अतः निष्फल व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर 2:- छः नर्सिंग कालेजों/स्कूलों के निर्माण कार्य में Contingency के रूप में रु 51.37 लाख का अधिक स्वीकृत किया जाना एवं इस धनराशि में से रु 20.78 लाख भुगतान किया जाना।

सीपीडब्लूडी मैनुअल वर्ष 2012 के अनुसार, यदि कार्य की लागत रु 1.00 करोड़ से कम है तो Contingency कार्य की लागत की 5 प्रतिशत की दर से भारित की जाएगी और यदि कार्य की लागत रु 1.00 करोड़ से अधिक है तो Contingency कार्य की लागत की 3 प्रतिशत की दर से भारित की जाएगी। और इस संबंध में सलाहकार अभियंत्रण, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड सरकार द्वारा भी इस संबंध में उल्लिखित किया गया था कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डीपीआर में Contingency सीपीडब्लूडी मैनुअल के अनुसार भारित की जाय।

निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा भारत सरकार से 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत पाँच नर्सिंग कॉलेज के निर्माण की योजना और एएनएम/ जीएनएम स्कूल के Strengthen की योजना के अंतर्गत दो नर्सिंग स्कूल के निर्माण की योजना स्वीकृत करायी गयी थी और निर्माण कार्य को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के बाद एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात कार्यदायी संस्था को सौंपा गया था। स्वीकृत डीपीआर की नमूना जांच में पाया गया कि Contingency को सीपीडब्लूडी मैनुअल में निर्धारित दर से अधिक से भारित किया गया था। कॉलेज/स्कूल वार विवरण निम्न प्रकार से है:

योजना का नाम	कार्य की कुल लागत	Agency को कुल भुगतान	Cont. भारित योग्य		भारित cont.	CPWD के अनुसार Cont. (3%)	Excess Cont.
			कार्य	लागत			
1 नर्सिंग कॉलेज टिहरी	1944.60	1944.60	कॉलेज	601.47	18.04	18.04	0.00
			हॉस्टल	1034.07	41.36	31.03	**10.33**
2 नर्सिंग कॉलेज पौड़ी	1811.40	1779.00	कॉलेज और हॉस्टल	799.01	31.96	23.97	7.99
3 नर्सिंग कॉलेज अल्मोड़ा	1698.29	1670.00	कॉलेज और हॉस्टल	697.80	27.91	20.93	6.98
4 नर्सिंग कॉलेज चमोली	1811.40	1779.00	कॉलेज और हॉस्टल	799.01	31.96	23.97	7.99
5 नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़	1771.40	1740.00	कॉलेज और हॉस्टल	763.22	30.53	22.90	7.63
1 जीएनएम हरिद्वार	1297.22	1297.22	जीएनएम स्कूल	1044.47	41.78	31.33	**10.45**
2 जीएनएम नैनीताल	1018.62	225.00	जीएनएम स्कूल	819.10	24.57	24.57	0.00
							51.37

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छः निर्माण कार्यों की डीपीआर में रु 51.37 लाख की Contingency सीपीडबल्यूडी के मानक 3 प्रतिशत से अधिक स्वीकृत/भारित की गई थी। जबकि नर्सिंग कॉलेज टिहरी के भवन एवं जीएनएम स्कूल नैनीताल की भवन में केवल 3 प्रतिशत ही Contingency भारित की गई थी।

आगे यह भी पाया गया कि टिहरी और हरिद्वार कॉलेज की कार्यदायी संस्थाओं को पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी एवं निर्माण कार्य को पूर्ण कर लिया गया था। और इस प्रकार Contingency की अधिक धनराशि रु 20.78 लाख का भुगतान किया गया। शेष चार कालेजों पौड़ी, अल्मोड़ा, चमोली और पिथौरागढ़ में Contingency की धनराशि को रोकते हुए शेष पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गई थी। इसप्रकार छः निर्माण कार्यों में रु 51.37 लाख की धनराशि अधिक स्वीकृत हुई और जिसमें से रु 20.78 लाख का भुगतान हो चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि कार्यों पर Contingency को मुख्य अभियंता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, देहारादून के आदेश के अनुसार स्वीकृत किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह आदेश भवनो के निर्माण के लिए कुर्सी क्षेत्रफल दरों के निर्धारण से संबन्धित है जबकि उक्त निर्माण कार्य कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बल्कि एसओआर के अंतर्गत मद वार दरों से निर्मित कराये गये थे। और Contingency की दर सीपीडब्लूडी की निर्धारित दर और सलाहकार अभियंत्रण, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड सरकार के आदेशों का उल्लंघन है। साथ ही नर्सिंग कॉलेज टिहरी के भवन एवं जीएनएम स्कूल नैनीताल की भवन में सीपीडब्लूडी की निर्धारित दर और सलाहकार अभियंत्रण, राज्य योजना आयोग, उत्तराखंड सरकार के आदेशों के अनुसार ही Contingency भारित की गई थी।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल से संबन्धित आदेश अगस्त 2010 का है जबकि उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के आदेश के द्वारा कुर्सी क्षेत्रफल दरों पर बने आगणनों पर स्वीकृत दिये जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 1 :- रु 78.08 लाख की धनराशि का अनियमित व्यय।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार ब्याज से अर्जित धनराशि को भारत सरकार के ब्याज प्राप्ति के सुसंगत लेखाशीर्ष (0049) मे जमा की जानी चाहिए।

नर्सिंग सेवाओं के विकास के अंतर्गत ANM/GNM स्कूल खोलने हेतु केंद्र सहायतीत योजना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि माह **अक्तूबर 2010** में 05 ANM (बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग) नर्सिंग स्कूलों हेतु **रु. 625.00 लाख (5x125 लाख)** व 04 GNM (नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, हरिद्वार) नर्सिंग स्कूलों हेतु **रु. 900.00 लाख (4x225 लाख)** केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुये एवं माह **सितंबर 2012** में 02 GNM (अल्मोड़ा, पौड़ी) नर्सिंग स्कूलों हेतु **रु. 675.75 लाख (2x337.875 लाख)** की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त हुई, इस प्रकार कुल **रु. 2200.75 लाख** की धनराशि प्राप्त हुई, उक्त मद में प्राप्त धनराशि के रखरखाव के लिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता (खाता सं.- 1532000101291052) खोला गया था।

13th Finance Commission के अंतर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली एवं टिहरी गढ़वाल में नर्सिंग कॉलेज स्वीकृत किए गए तथा इसके साथ ही उपरोक्त जिलों में ANM/GNM

स्कूलों हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी कुल **रु. 1250.75 लाख** की धनराशि ब्याज सहित वापस मांगी गयी थी। जिसके अनुपालन में माह 08/2014 में कुल रु. 1348.47 (1250.75+ 97.72 ब्याज) लाख की धनराशि केंद्र सरकार को वापस की गयी थी।कुल प्राप्त **रु. 2200.75 लाख** की धनराशि के व्यय/वापसी का विवरण निम्न प्रकार है-

(रु. लाख में)₹

माह	प्राप्तकर्ता	धनराशि
03/2013	UPRNN (GNM School, Haridwar)	225.00
08/2014	GOI	1250.75
08/2015	DG, Heath & Family Welfare	500.00
02/2016	UPRNN (GNM School, Nainitaal)	225.00
	योग	**2200.75**

उक्त व्यय/वापसी के अतिरिक्त विभिन्न कार्यदाई संस्थाओं को **रु. 78.08 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी जिसका विवरण निम्न है-

(रु. लाख में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	कार्यदाई संस्था	अवमुक्त धनराशि
1	ANM स्कूल, बागेश्वर	उत्तराखंड पेयजल निगम	6.59
2	ANM स्कूल, चंपावत	उत्तर प्रदेश रा. नि. नि. लि.	6.67
3	GNM स्कूल, नैनीताल	उत्तर प्रदेश रा. नि. नि. लि.	15.53
4	GNM स्कूल, चमोली	उत्तराखंड पेयजल निगम	7.68
5	GNM स्कूल, पिथौरागढ़	उत्तराखंड पेयजल निगम	14.45
6	GNM स्कूल, हरिद्वार	उत्तर प्रदेश रा. नि. नि. लि.	27.16
		योग	**78.08**

यह भी पाया गया कि केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त कुल **रु. 2200.75 लाख** की धनराशि के रखरखाव के लिए खोले गए खाते में वर्तमान तक कुल ` **290.29 लाख** की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुयी है, जिसमें से **रु. 97.72 लाख** की धनराशि केंद्र सरकार को वापस की गयी थी तथा खाते में दिनांक 02/09/2017 के अनुसार अवशेष धनराशि रु. 114.49 लाख है, जब कि खाते में **रु. 192.57 लाख** कि धनराशि अवशेष होनी चाहिए थी। इस प्रकार केंद्र सरकार के स्वीकृति से अतिरिक्त **रु. 78.08 लाख (192.57-114.49)** की धनराशि अर्जित ब्याज में से व्यय की गयी थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ब्याज की धनराशि को व्यय करने हेतु केंद्र सरकार से अनुमति नहीं प्राप्त की गयी थी तथा शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात संबन्धित कार्यदाई संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार ब्याज से अर्जित धनराशि लेखाशीर्ष 0049 मे जमा की जानी चाहिए थी।

अतः रु. 78.08 लाख की धनराशि के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2:- विभागीय उदासीनता के कारण रु. 43970/- की धनराशि का अपव्यय।

निदेशालय के अन्तर्गत हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्धयालय देहरादून के कुलसचिव के उपयोगार्थ एक वाहन हेतु ट्रैवल एजेंसी मैसर्स जय शिव बजरंग टूर ट्रेवल्स से इंडिगो वाहन का अनुबंध रु. 20500/- की मासिक दर पर किया गया था। कुलसचिव हेतु माह अप्रैल 2017 में एक बोलेरो वाहन का क्रय किया गया, जोकि विश्वविद्धयालय को दिनांक: 04.04.2017 को प्राप्त हो गया था। बोलेरो वाहन के क्रय के उपरांत भी वर्तमान तक कुलसचिव द्वारा इंडिगो वाहन का उपयोग किया जा रहा है। इंडिगो वाहन का मासिक किराया रु. 20500/- है, इस प्रकार बोलेरो वाहन के क्रय माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक कुल पाँच माह में रु. 102500/- का भुगतान मैसर्स जय शिव बजरंग टूर ट्रेवल्स को किया गया। यदि माह अप्रैल 2017 में ही बोलेरो हेतु वाहन चालक की नियुक्ति कर ली जाती तो वाहन चालक को मासिक वेतन रु. 11706/- के अनुसार माह अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक पाँच माह में कुल रु. 58530/- की धनराशि का भुगतान किया जाता। इस प्रकार रु. 43970/- के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि दिनांक: 04.04.2017 को वाहन उपलब्ध होने पर वाहन चालक सेवायोजित किए जाने हेतु पी.आर.डी. को पत्र भेजा गया तथा पी.आर.डी. द्वारा वाहन चालक उपलब्ध न कराये जाने के उपरांत उपनल के माध्यम से वाहन चालक सेवायोजित किए जाने हेतु पत्र भेजा गया जिसके उपरांत दिनांक: 01.09.2017 को उपनल द्वारा वाहन चालक सेवायोजित किया गया। साथ ही इकाई द्वारा यह भी बताया गया कि विश्वविध्यालाय मेँ चल रही परीक्षाओं/ काउन्सलिंग के कारण इंडिगो वाहन का अनुबंध समाप्त नहीं किया गया तथा काउन्सलिंग कार्य समाप्त होने पर निकट भविष्य में इंडिगो वाहन का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

इकाई के उपरोक्त उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि दिनांक: 04.04.2017 को बोलेरो वाहन उपलब्ध हो जाने के लगभग तीन माह बाद दिनांक: 30.06.2017 को वाहन चालक सेवायोजित किए जाने हेतु प्रथम पत्र प्रेषित किया गया तथा अन्य आकस्मिक कार्यों हेतु विश्वविध्यालय द्वारा दैनिक दरों पर भी वाहन अनुबंधित किये गए थे। इस प्रकार वाहन चालक को सेवायोजित किए जाने में दिखाई गयी उदासीनता के कारण रु. 43970/- की धनराशि का अपव्यय किया गया।

अतः वाहन चालक को सेवायोजित किए जाने में दिखायी गयी विभागीय उदासीनता के कारण रु. 43970/- की धनराशि के अपव्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 3:- ` 272.70 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि अवरुद्ध पड़े रहना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009, दिनाँक: 03/09/2009 के अनुसार यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपभोग न किया जा

सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो, तब इस अर्जित ब्याज की धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक 0049 में जमा कराया जाय।

इकाई द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि राज्य में संचालित नर्सिंग कालेजों, नर्सिंग स्कूलों व नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस के रूप में प्राप्त धनराशि के रखरखाव के लिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता (खाता सं.- 1532000101302987) खोला गया था। उपरोक्त मदों के अंतर्गत प्राप्त धनराशि पर माह 06/2017 तक कुल ` 80.13 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुयी थी, पुनः जाँच में यह भी पाया गया कि केंद्र सहायतित योजना के अंतर्गत GNM/ANM स्कूलों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि के रखरखाव के लिए पंजाब नेशनल बैंक में खाता (खाता सं.- 1532000101291052) खोला गया था। उक्त खाते में प्राप्त धनराशि पर माह 09/2017 तक कुल ` 290.29 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में अर्जित हुयी थी, जिसमें से मात्र ` 97.72 लाख की धनराशि ही केंद्र सरकार को वापस की गयी थी। इस प्रकार कुल ` 272.70 (80.13 + 290.29 – 97.72) लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि अवरुद्ध पड़ी हुयी थी।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया कि ब्याज की धनराशि यथाशीघ्र जमा कर अभिलेख उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

इस प्रकार कुल ` 272.70 लाख की ब्याज से अर्जित धनराशि अवरुद्ध पड़े रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 4:- नियोजन की कमी के कारण रु. 700.00 लाख की धनराशि के व्यय के बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना व विगत नौ माह से बंद रहना।

राजकीय जी.एन.एम. स्कूल, बाजपुर के निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शासन द्वारा माह **मार्च 2015** में उक्त कार्य हेतु **रु. 947.20** लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था एवं माह मार्च 2015 में राजकीय जी.एन.एम. स्कूल, बाजपुर के निर्माण कार्य हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग व उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मध्य एम.ओ.यू. का गठन किया गया था। एम.ओ.यू. के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 30th मार्च 2015 व कार्य पूर्ण होने की तिथि 30th सितंबर 2016 (18 माह) थी। भारत सरकार द्वारा विशेष सहायता योजना (Special Assistance) के अंतर्गत मार्च 2016 में गुप्तकाशी, चंपावत एवं बाजपुर में जी.एन.एम. स्कूलों के निर्माण हेतु कुल रु. 4769.63 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। पुनः जाँच में पाया गया कि माह **जुलाई 2015** में जी.एन.एम. स्कूल, बाजपुर का उच्चीकरण करते हुये इंट्रीगेटेड नर्सिंग कालेज के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके पश्चात भी कार्यदाई संस्था को जी.एन.एम. स्कूल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी थी, वर्तमान तक कार्यदायी संस्था को कुल रु. **920.00 लाख** की धनराशि जारी की गयी है, जिसमें से कार्यदायी संस्था द्वारा दिसंबर 2016 तक रु. 700.00 लाख की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नए कार्य न आवंटित किए जाने के उत्तराखंड सरकार के आदेश के क्रम में जुलाई 2017 में उत्तर प्रदेश

राजकीय निर्माण निगम के स्थान पर उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यदाई संस्था के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में कार्य अपूर्ण है एवं विगत नौ माह से निर्माण कार्य बंद है।
इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि नवीन कार्यदायी संस्था से DPR प्राप्त की जा रही है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शासन द्वारा जी.एन.एम. स्कूल, बाजपुर का उच्चीकरण करते हुये इंट्रीगेटेड नर्सिंग कालेज के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिए जाने के दो वर्ष बाद तथा केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी न तो जी.एन.एम. स्कूल का निर्माण पूर्ण था न ही इंट्रीगेटेड नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ था।

अतः नियोजन की कमी के कारण रु. 700.00 लाख की धनराशि के व्यय के बाद भी कार्य के अपूर्ण रहने व विगत नौ माह से बंद रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर 5:- विभागीय उदासीनता के कारण उद्देश्यों की पूर्ति न होना एवं भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू 2.25 करोड़ का विगत सात वर्षो से अवरूद्ध रहना।

विभाग द्वारा नैनीताल जनपद में पूर्व से संचालित नर्सिंग स्कूल भारतीय नर्सिंग परिषद के मानकों के अनुरूप न होने के कारण भारत सरकार से जीएनएम स्कूल एवं छात्रावास बनाए जाने की स्वीकृति ली गयी थी और भारत सरकार ने स्वीकृति के साथ साथ सितंबर 2010 में रु 225 लाख की धनराशि को अवमुक्त किया गया था। इस निर्माण कार्य की लागत भारत सरकार के मानक के अनुसार रु 795 लाख थी जिसमे से 85 प्रतिशत केंद्रान्श के आधार पर भारत सरकार द्वारा रु 675.75 लाख की सहायता दी जानी थी तथा राजयांश एवं भारत सरकार के मानक से अधिक आगणन की लागत को विभाग/राज्य सरकार को वहन करना था।

इकाई के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा जुलाई 2011 में UPRNN को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया गया था। स्कूल के प्रथम चरण के कार्य हेतु रु 15.53 लाख दिसंबर 2011 में स्वीकृत किए गए थे जिंहे विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को फरवरी 2012 में निर्गत कर दिया गया था। जिसके माध्यम से कार्यदायी संस्था को द्वितीय चरण के कार्यों हेतु डीपीआर प्रस्तुत की जानी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा अप्रैल 2012 में डीपीआर विभाग को उपलब्ध करायी थी। अंततः भारत सरकार से स्वीकृति से 64 माह बाद एवं कार्यदायी संस्था द्वारा डीपीआर प्रस्तुत किए जाने से 48 माह बाद फरवरी 2016 में विभाग द्वारा रु 1018.62 लाख से डीपीआर पर स्वीकृत दी गयी और साथ ही भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रु 225 लाख भी कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए गये। विभाग द्वारा मार्च 2016 में कार्यदायी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया जिसके अनुसार 25 माह में निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाना था। इसी बीच नवंबर 2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नैनीताल झील के 2.0 किमी की परिधि में निर्माण पर रोक लगा दी गयी थी। और वर्तमान में रोक लग जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका था।

आगे लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जीएनएम स्कूल के निर्मित हो जाने की प्रत्याशा में वर्तमान में 30 छात्र/छात्राओं की क्षमता वाले पूर्व संचालित स्कूल में 85 छात्र/छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं और मात्र 15 कमरों के छात्रावास में 65 छात्र/छात्राएं रह रहीं है। यदि समय से डीपीआर स्वीकृत करते हुए कार्य प्रारम्भ कर दिया गया होता तो माननीय उच्च न्यायालय की रोक से पहले कार्य को पूर्ण कर लिया जा सकता था तथा जिसका लाभ संबन्धित छात्रों को मिलने लगता क्योंकि समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण वर्ष को 25 माह में पूर्ण हो जाना था। साथ ही भारत सरकार से शेष सहायता भी नहीं प्राप्त हो जाती।

इसप्रकार विभागीय उदासीनता के कारण भारत सरकार से धनराशि प्राप्ति से एवं माननीय उच्च न्यायालय की रोक तक पाँच वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी स्कूल का निर्माण प्रारम्भ न जा सकने के कारण न केवल कार्यदायी संस्था को दी गयी धनराशि रु 240.53 लाख अवरुद्ध पड़ी हुई थी बल्कि छात्र/छात्राएं मिलने वाले लाभ से वंचित थे और भारत सरकार से मिलने वाली सहायता रु 450.75 लाख भी नहीं प्राप्त की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से उक्त के संबंध में पुछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकारते हुए बताया गया कि स्वीकृति में विलम्ब शासन स्तर से हुआ है।

अतः विभागीय उदासीनता के कारण नैनीताल जनपद में जी एन एम स्कूल के निर्माण सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति न हो पाने एवं भारत सरकार से प्राप्त धनराशि रू 2.25 करोड़ का विगत सात वर्षो से अवरूद्ध रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- कार्यदायी संस्थाओं को रु. 39.68 लाख की धनराशि का अधिक भुगतान।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 163/XXVII(7)/2007 दिनांक: 22.05.2008 के अनुसार निर्माण कार्य के लिए वास्तुविद सेवाएँ ग्राहक विभाग द्वारा यदि सीधे किसी तृतीय पक्ष से आउटसोर्सिंग द्वारा प्राप्त की जाती हैं, तो उस दशा में निर्माण इकाई/ कार्यदायी संस्था को 2% सेंटेज प्रभार कम देय होगा। वास्तुविद सेवाओं में कन्सेप्ट प्लानिंग, अनुमानित लागत, ड्राइंग, विस्तृत आगणन एवं विस्तृत वर्किंग ड्राइंग/डिजाइन/गुणवत्ता नियंत्रण आदि सम्मिलित होंगे।

जनपद हरिद्वार में राजकीय जी.एन.एम. स्कूल के निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जी.एन.एम. स्कूल भवन के प्रथम चरण के कार्यों हेतु माह दिसंबर 2011 में रु. 27.16 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को अवमुक्त की गयी थी। उक्त कार्य के संबंध में माह मई 2013 में चिकित्सा शिक्षा विभाग व उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मध्य एम.ओ.यू. का गठन किया गया था। एम.ओ.यू. के अनुसार कार्य की कुल लागत रु. 1297.22 लाख थी जिसमे सेंटेज समेत अन्य सभी प्रभार सम्मिलित थे। कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए गए धन का विवरण निम्न है-

(रु. लाख में)

शासनादेश सं. व दिनांक	धनराशि

1355/XXVIII(I)/2011-1313(Nursing)/2011,dt. 01.12.2011	27.16
615(1)XXVII(I)2013-13(Nursing)/2011, dt. 30.03.2013	712.13
524(1)XXVII(I)2014-13(Nursing)/2011, dt. 18.11.14	256.47
138(1)XXVII(I)2015-13(Nursing)/2011, dt.02.03.2015	98.86820
362(1)XXVII(I)2015-13(Nursing)/2011, dt. 31.03.2015	229.75
योग	**1324.3782**

इस प्रकार कार्यदायी संस्था को रू 1297.22 लाख के एम0ओ0यू0 के सापेक्ष कुल **रु 1324.38 लाख** की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। तथा कार्यदायी संस्था को अनुबंध की धनराशि से **रु. 27.16 लाख** का अधिक भुगतान किया गया था, इसी प्रकार यह भी पाया गया कि टिहरी में स्वीकृत ए.एन.एम. स्कूल के प्रथम चरण के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था (NBCC) को रु. 12.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी एवं कार्यदाई संस्था से उक्त कार्य हेतु रु. 229.65 लाख का अनुबंध किया गया तथा पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी थी, वर्तमान में कार्य पूर्ण है कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किए गए धन का विवरण निम्न है।

(रू लाख में)

पत्रांक व दिनांक	**धनराशि**
1356/XXVIII(I)/2011-21(Nursing)/2011,dt. 01/12/2011	12.52
40(1)/XXVIII(I)/2013-21(Nursing)/2011,dt. 02/01/2014	25.00
26प/चि.शि./116/2013 टी.सी. dt. 21/02/2014	125.00
26प/चि.शि./58/2014/1586, dt. 30/03/2015	79.65
योग	**242.17**

इस प्रकार कार्यदायी संस्था को रू 229.65 लाख के एम.ओ.यू. के सापेक्ष कुल रू 242.17 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

इस प्रकार उक्त दोनों कार्यों के प्रथम चरण के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को कुल रू 39.68 (27.26+12.52) लाख भुगतान किया गया था, जिसका समायोजन शासनादेश के अनुसार कार्यदायी संस्था को दिये जाने वाले सेंटेज प्रभार से किया जाना था, जो कि नहीं किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया गया कि कार्यदायी संस्था से रु. प्रथम चरण के कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि वापस प्राप्त करने व समायोजन की कार्यवाही गतिमान है।

अतः कार्यदायी संस्था को रु. 39.68 लाख की धनराशि के अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

(इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा दल द्वारा विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या निम्न प्रारूप में दो प्रतियों में प्राप्त कर अपनी टीका सहित भाग-III के नीचे लगाकर निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मूल रूप में संलग्न कर मुख्यालय को प्रेषित की जाय। मुख्यालय पर संबंधित क्षेत्र द्वारा अनुपालन आख्या विचारोपरान्त वर्गाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करते समय निस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में से हटा दिया जाय। मात्र अनिस्तारित प्रस्तरों को भाग-III में रखा जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

1. इकाई द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग को आगे ले जाने हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये जा रहे है

- सम्बद्ध मेडिकल कॉलेजो का सही ढंग से संचालन किया जा रहा है।
- मेडिकल कॉलेजो एवं नर्सिंग कॉलेजो/स्कूलो के निर्माण कराये जा रहे।
- मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध टीचिंग हॉस्पिटल के माध्यम से मरीजो का उपचार किया जा रहा है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	डॉ. आर.पी. भट्ट	निदेशक	07.09.2013 से 07.05.2015
2	श्री पी. सी. खरे	निदेशक	18.05.2015 से 11.08.2015
3	श्री आर. के. सुधांशु	निदेशक	11.08.2015 से 20.11.2015
4	डॉ. आशुतोष सयाना	निदेशक	20.11.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, उतरखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.